राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर

क्रमांकः प.3(पी–)/निचिस्वा/विधि/14/ दिनांकः

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य),
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जोधपुर एवं केस प्रभारी अधिकारी।

विषयः–एस0बी0सि0रि0पि0 संख्या 8912/2009 पुनीत शर्मा (ग्रा0लैब टैक्नी0) बनाम सरकार व अन्य।

संदर्भः–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के पत्रांक विधि/2014/10251–55 दिनांक 20.08.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त प्रकरण में आपके द्वारा माननीय न्यायालय में दायर डी0बी0स्पे0 अपील संख्या शून्य/2014 इन एस0बी0सि0रि0पि0 संख्या 8912/2009 पुनीत शर्मा (ग्रा0लैब टैक्नी0) बनाम सरकार व अन्य में वर्तमान में की गई अग्रिम कार्यवाही की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट से शीघ्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर अवमानना संख्या 321/2014 में दिनांक 26.09.2014 को उच्च अधिकारियों को माननीय न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश है।

अतः निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3 (ए–1098)/विधि/14/2060 दिनांक 27.05.2014 की पालना में उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2013 के विरूद्व माननीय न्यायालय में आप द्वारा डी0बी0अपील की वर्तमान वस्तु स्थिति/पालना रिपोर्ट से अविलम्ब अवगत करावें अन्यथा प्रकरण में दायर अवमानना कार्यवाही के लिये आपको जिम्मेदार मानते हुये अपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

/

सहायक विधि परामर्शी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः प.3(पी–112)/निचिस्वा/विधि/14/ 167 दिनांकः 15/9/14.

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।
4. डीलिंग अस्सिटेंट, अवमानना सीट, विधि अनुभाग, मुख्यालय को उनके पत्रांक प.7 (877)/निचिस्वा/विधि/अव./14/64/ दिनांक 03.09.2014 के क्रम में भेजकर लेख है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के पत्र दिनांक 20.08.2014 के द्वारा केस प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2013 के विरूद्व माननीय न्यायालय में डी0बी0 अपील दायर करवा दी गई है जिसकी प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को मेल करने बाबत।

सहायक विधि परामर्शी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।